मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक / सी.एस.टी.–11 / ए.आर.टी. / M&E / 2020 / 818 भोपाल, दिनांक 15/06/2020

प्रति,

1. **समस्त जिला कलेक्टर,**
2. **समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,**
3. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,**
4. **समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,**
5. **संचालक, एनआईआरटीएच, जबलपुर**
6. **संचालक, भोपाल मेमोरियल चिकित्सालय अनुसंधान केन्द्र, भोपाल मध्यप्रदेश।**

विषयः– राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक गतिविधियां आरंभ करने बाबत्।
संदर्भः– समिति का पत्र क्रमांक / आईसीटीसी / 21–20 / 2020 / 625 दिनांक 18.05.2020।

विषयांतर्गत लेख है कि कोविड–19 के साथ–साथ अब प्रदेश में अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रारंभ की जाना है। उप महानिदेशक, नाको के पत्र No. T-11020/82/2006-NACO-ART, Dated 04/06/2020 के द्वारा भी एच.आई.व्ही. संक्रमित व्यक्तियों को ए.आर.टी. सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने हेत लिखा गया है।

अतः राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार सेवाएं, पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ की जावेः–

1. गर्भवती महिलाओं सहित सभी जन सामान्य, उच्च जोखिम समूहों व प्रिज़्मप्टिव्ह टीबी रोगियों को एचआईव्ही परामर्श एवं जांच सेवाएं, बच्चों की ई.आई.डी. टेस्टिंग, आईसीटीसी / एफआईसीटीसी के द्वारा।
2. एआरटी केन्द्र में आने वाले पेशेंट को ट्रायएज किया जावे, कफ, फीवर, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण वाले पेशेंट पर विशेष ध्यान दिया जावे। लक्षण वाले पेशेंटों को नज़दीक के कोविड स्क्रीनिंग / टेस्टिंग ओ.पी.डी. में रेफर किया जावे। पेशेंटों को मॉस्क व सेनेटाइजर / साबुन–पानी से हेण्ड वॉश की सुविधा उपलब्ध कराई जावे।
3. एचआईव्ही से संक्रमित व्यक्तियों का एआरटी पंजीयन, सभी आवश्यक बेस लाइन टेस्ट (पैथालॉजी / एक्स–रे / यूएसजी / CBNAAT) निःशुल्क करना, सी.डी.4 एवं वायरल टेस्टिंग, एडहरेंस परामर्श, तीन माह की एआरटी की दवाओं का वितरण एवं एआरटी दवाओं की निरंतर उपलब्धता।
4. एचआईव्ही संक्रमित पात्र व्यक्तियों को IPT का वितरण एवं TB-HIV संक्रमितों को ART व TB की दवाओं का वितरण।
5. गर्भवती महिलाओं सहित सभी जनसामान्य को रक्त की सुलभ उपलब्धता तथा स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन।
6. यौन रोगों की पहचान व उपचार तथा गर्भवती महिलाओं की सिफलिस की जांच।
7. इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स के लिए ओएसटी की दवाओं की उपलब्धता। उच्च जोखिम समूहों की नियमित एचआईव्ही व सिफलिस की जांच एवं कण्डोम का वितरण।

उपरोक्त सेवायें प्रदान करते समय कोविड–19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्टाफ की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जावे, उन्हें मॉस्क, ग्लब्स, सेनेटाइजर्स, कार्य की आवश्यकता अनुसार पी.पी.ई. किट प्रदान की जावे व सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जावे।

उक्त सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आईसीटीसी, एआरटी, एसटीआई, ओएसटी, डापकु एवं एसआरएल में कार्यरत समस्त स्टॉफ को उनके ही केन्द्रों में कार्य करने हेतु निर्देशित करें, साथ ही यदि किसी स्टॉफ की ड्यूटी अन्यत्र लगायी गयी है तो उसे तत्काल कार्यमुक्त करते हुए उनके ही केन्द्रों में उपरोक्तानुसार सेवाएं प्रदान करने हेतु निर्देशित करें।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

F:\Backup 20 March 2018\H Drive\CCC 23.10.2018\ICTC\2020\Letter from 21-11(20-21).doc

क्रमांक / सी.एस.टी.–11 / ए.आर.टी. / M&E / 2020 / 819 भोपाल, दिनांक 15/06 / 2020

<u>प्रतिलिपि</u> :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
2. परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश।
4. राज्य क्षय अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. उप संचालक (मातृ स्वास्थ्य), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अरेरा–हिल्स, भोपाल।
6. समस्त नोडल अधिकारी, जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग